समाहरणालय, बेगूसराय

(जिला सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सश्कितकरण कोषांग)

पत्रांक-238 दिनांक-14.6.2019

प्रेषक,

सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा कोषांग
बेगूसराय।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य-चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, बेगूसराय।
जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय।
रेड क्रॉस सोसायटी के प्रतिनिधि, बेगूसराय।
अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा एवं बेगूसराय सदर।

18/07/19

विषय - दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में भाग लेने के संबंध में।

प्रसंग - गोपनीय शाखा, बेगूसराय जिला का पत्रांक-1113 दिनांक-14.06.2019।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 20 जून, 2019 को कारगिल भवन, बेगूसराय में अपराह्न 01.00 बजे से जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 की धारा-72 अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गई है। विदित हो कि उपरोक्त सभी पदाधिकारीगण इस समिति के सदस्य होते हैं। सुलभ प्रसंग हेतु बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति के गठन से संबंधित दस्तावेज संलग्न है। उक्त बैठक में राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना भी उपस्थित रहेंगे।

अतः अनुरोध है कि उक्त बैठक में ससमय उपस्थित होने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/-
सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा कोषांग
बेगूसराय

ज्ञापांक-238 दिनांक-14.6.2019

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

14.6.2019
सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा कोषांग
बेगूसराय